भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 470*
(दिनांक 05 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

***470. श्री असादुद्दीन ओवैसीः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का वर्ष 2020-21 में कुल व्यय 1,11,443 करोड़ रूपए था तथा सरकार ने इस योजना के बजट को वर्ष 2021-22 के लिए कम करके लगभग 71,000 करोड़ रूपए करने का निर्णय लिया है तथा वर्तमान वर्ष में धनराशि में वृद्धि नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मनरेगा के बजट का वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण उपयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कम आबंटन का ब्यौरा क्या है जबकि योजना के संबंध में माँग वर्ष 2022-23 के समान ही रहने की संभावना है;

(घ) क्या आगामी दिनों में अनुपूरक मांगों से धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है या राज्यों के लिए अपने राजकोष में से व्यय करना पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना का वित्तपोषण करने हेतु वैकल्पिक प्रबंध किए जाने तक राज्यों को अनुदान प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *470 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है , जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय आवंटन को बजट अनुमान (ब.अ.) चरण में 61,500 करोड़ रू. से बढ़ाकर संशोधित अनुमान (सं.अ.) चरण में 1,11,500 करोड़ रू. किया था।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान (ब.अ.) चरण में बजट प्रावधान 73,000 करोड़ रू. था। मंत्रालय ने अतिरिक्त बजट आवंटन का अनुरोध किया था , जिसे निधियों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित अनुमान (सं.अ.) चरण में बढ़ाकर 98,000 करोड़ रू. कर दिया गया है। जमीनी स्तर पर काम की मांग को पूरा करने के लिए जब कभी आवश्यकता होती है तब यह मंत्रालय वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य निधियां जारी करने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। राज्यों को निधियां जारी करना निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह मंत्रालय "स्वीकृत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की रफ्तार , लंबित देनदारियों, समग्र कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्य द्वारा संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन दो खेपों में निधियां जारी करता है , जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या इससे अधिक किस्तें होती हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (दिनांक 29.03.2022 की स्थिति के अनुसार) केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 95,433.37 करोड़ रू. की निधि जारी कर दी है।

*****